I/569295/2024

ई–मेल द्वारा प्राप्त

प्रभारी-विधि

प्रेषक,

अरूण कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

उपाध्यक्ष

सेवा में,

1 आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं
विकास परिषद्,
लखनऊ।

2 निदेशक,
नगर भूमि सीमारोपण विभाग,
उत्तर प्रदेश।

3 उपाध्यक्ष,
समस्त विकास
प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4 अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

5 सचिव,
रेरा, लखनऊ।

6 प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन,
लखनऊ।

7 मुख्य नगर एवं ग्राम
नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन
विभाग,
उत्तर प्रदेश।

8 सदस्य सचिव/उपाध्यक्ष,
स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों, व उपवनों आदि की प्रबन्धन,
सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति/लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक मई, 2024

विषयः–मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिपोर्टेबल (Reportable) निर्णयों के हिंदी अनुवाद की उपलब्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–01/2024/917/सात–न्याय–1–2024–1815051, दिनांक 16.05.2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

2. उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि भारत के मा0 मुख्य न्यायाधीश की पहल पर मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय के निर्णयों (judgements) का एआई (AI) तकनीक के उपयोग से हिन्दी अनुवाद तैयार किया गया है, जो मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, की आधिकारिक वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध है तथा हाइपरलिंक 'अनुवादिक निर्णय' और 'ई–इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका' के तहत अथवा निम्न लिंक से डाउनलोड किया जा सकता हैः–

https://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/translation/vernacular2.html
https://www2.allahabadhighcourt.in/ahcr/

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त संदर्भगत पत्र दिनांक 16.05.2024 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें, जिससे विधिक जागरूकता के प्रसार का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

Digitally Signed by अरूण कुमार
Date: 27-05-2024 10:51:10
Reason: Approved

(अरूण कुमार)
अनु सचिव।

Scanned with ACE Scanner

संख्या- 754/आठ-5-2024

संख्या- 01 /2024/917/सात-न्याय-1-2024-181505

प्रेषक,

विनोद सिंह रावत,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।
2. समस्त कुलपति,
विधि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त प्राचार्य/उप प्राचार्य,
विधि महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश ।

न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय) लखनऊ : दिनांक 16 मई, 2024

विषय : मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिपोर्टेबल (Reportable) निर्णयों के हिंदी अनुवाद की उपलब्धता के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश की पहल पर मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय के निर्णयों (Judgements) का एआई (AI) तकनीक के उपयोग से हिन्दी अनुवाद तैयार किया गया है, जो माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट पर नि:शुल्क उपलब्ध है तथा हाइपरलिंक 'अनुवादित निर्णय' और 'ई-इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका' के तहत अथवा निम्न लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है :-

https://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/translation/vernacular2.html

https://www2.allahabadhighcourt.in/ahcr/

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि कृपया अपने विभागों/कार्यालयों/शिक्षण संस्थाओं इत्यादि में उक्त जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का कष्ट करें, जिससे विधिक जागरूकता के प्रसार का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके ।

भवदीय,

(विनोद सिंह रावत)
प्रमुख सचिव ।

Digitally Signed by Vinod Singh Rawat
Date: 16-05-2024 13:33:48
Reason: Approved

(विनोद शर्मा)
निजी सचिव
अपर मुख्य सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

22-05-2024

520/US/24
US (A.K)

22/05/2024

(... त्रिपाठी)
विशेष सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

SO-8

श्री प्रदीप
24-05-2024

Scanned with ACE Scanner